



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 01.12.2024

1. थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा करोडो रूपये की धोखाधडी करने वाले बांग्लादेशी गैंग का पर्दाफाश करते हुये 02 अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही का विवरण- थाना नालेज पार्क पुलिस द्वारा 03 करोड 86 लाख रूपये की धोखाधडी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुये दिनांक 01.12.2024 को मु0अ0सं0 22/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि मे वांछित अभियुक्त 1. सोगाताचाकी पुत्र स्व0 श्री शान्ति शेखर चाकी 2. मौहम्मद गुलाम मुस्तफा पुत्र मौहम्मद नौफेलउद्दीन को शहीद चौक पुल के पास कटिहार बिहार से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. सोगाताचाकी पुत्र स्व0 श्री शान्ति शेखर चाकी नि0 स्टेशन कालोनी बेलाकोवा थाना राजगंज जिला जलपाईगुडी पश्चिम बंगाल
2. मौहम्मद गुलाम मुस्तफा पुत्र मौहम्मद नौफेलउद्दीन नि0 ग्राम कुरमुसी थाना घटाइल जिला टांगाइल बांग्लादेश हाल पता कोची कालोनी डीआईजी चोक पूर्णिया बिहार

अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 22/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर।

2. थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा बिना पंजीकरण के अवैध गतिविधियों में लिप्त एजेंसी “ मेडमैच फाइंडर्स “ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये कम्पनी संचालक को किया गिरफ्तार

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 01.12.2024 को थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा सेक्टर-62, नोएडा में बिना पंजीकरण के विदेश भेजने वाली मेडमैच फाइंडर्स के संचालक विशाल सुरेका पुत्र विजय सुरेका निवासी छितौनी बाजार मोहल्ला जोखईया थाना हनुमानगंज जिला कुशीनगर उ0प्र0 को गिरफ्तार किया गया है।

विवरण-- वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 30.11.2024 को थाना सेक्टर-58, नोएडा पर सूचना अंकित करायी कि “मेडमैच फाइंडर्स“ एलएलपी, जो नोएडा सेक्टर-62 में संचालित हो रही है, में बिना किसी वैध लाइसेंस के विदेशी जनशक्ति भर्ती का कार्य किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना सेक्टर-58, नोएडा की पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि मेडमैच फाइंडर्स के संचालक विशाल सुरेका द्वारा बिना पंजीकरण के अवैध विदेशी भर्ती गतिविधियों में लिप्त, तथा एजेंसी उत्प्रवास अधिनियम, 1983 का उल्लंघन करते हुये पाया गया। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना सेक्टर-58, नोएडा पर मु0अ0सं0-472/2024 धारा 318(4)बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त विशाल सुरेका ने पूछताछ पर बताया कि मेरे पास विदेशी भर्ती से सम्बन्धित व्यवसाय करने के लिये पंजीकरण नहीं है। मैं गलत प्रचार प्रसार कर उक्त व्यवसाय कर रहा था, मेरे द्वारा एक पंजीकृत एजेन्सी स्किलबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भेजे गये कर्मचारियों का विज्ञापन अपने एजेन्सी मेडमैच फाइंडर्स के नाम से किया जा रहा था जिससे कि जनता के लोगो को विश्वास हो जाये कि मैं एक पंजीकृत एजेन्सी चलाता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. विशाल सुरेका पुत्र विजय सुरेका निवासी छितौनी बाजार मोहल्ला जोखईया थाना हनुमानगंज जिला कुशीनगर उ0प्र0

पंजीकृत अभियोग--

1. मु0अ0सं0-472/2024 धारा 318(4)बीएनएस थाना सेक्टर-58, नोएडा, गौतमबुद्धनगर

3. थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा 03 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 डम्पर, 01 कार, घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार व 01 तमंचा .315 बोर एवं 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **01.12.2024** को थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा 03 वाहन चोर 1. इस्तकार पुत्र मौ0 उमर 2. सलाउद्दीन पुत्र नसरुद्दीन 3. समसुद्दीन पुत्र साबू को स्टेलर ग्रीन पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे एक डम्पर सम्बन्धित मु0अ0सं0 577/24 धारा 303(2) बीएनएस, एक ईको कार व घटना में प्रयुक्त एक स्विफ्ट कार, 01 नाजायज तमंचा .315 बोर एवं 01 अवैध चाकू बरामद हुए हैं।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तों से पूछताछ करने पर तीनों ने बताया कि साहब हम अपनी स्विफ्ट कार से पार्किंगों व सड़क किनारे खड़े वाहनों की रैकी करते हैं तथा समय मिलते ही उनकी चोरी करते हैं, चोरी के वाहनों को अज्ञात व्यक्तियों को मेवात हरियाणा में ले जाकर बेच देते हैं तथा तमन्चा व चाकू दिखाकर हम किसी को भी डरा धमका देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. इस्तकार पुत्र मौ0 उमर निवासी ग्राम असारा टीले वाले मस्जिद के पास थाना रमाला जनपद बागपत हालपता दौलत नगर कालोनी पावी सादकपुर थाना ट्रानिकासिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष
2. सलाउद्दीन पुत्र नसरुद्दीन निवासी नसीम का मकान दौलत नगर कालोनी पावी सादतपुर थाना ट्रानिकासिटी गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष
3. समसुद्दीन पुत्र साबू निवासी मदरसे वाली मस्जिद के पास पावी सादतपुर थाना ट्रानिका सिटी गाजियाबाद उम्र 59 वर्ष

अभियुक्त इस्तकार का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 577/24 धारा 303(2),317(5) बीएनएस थाना सेक्टर-39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर ।
2. मु0अ0सं0 722/2024 धारा 317(2),317(5) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर ।
3. मु0अ0सं0 487/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर ।
4. मु0अ0सं0 16/19 धारा 392,394,365,34 भादवि थाना गीता कालोनी ईस्ट दिल्ली
5. मु0अ0सं0 101/19 धारा 392,365,34 भादवि थाना वेलकम नार्थ ईस्ट दिल्ली
6. मु0अ0सं0 2775/19 धारा 379 भादवि थाना बसन्त कुंज साउथ वेस्ट दिल्ली

7. मु0अ0सं0 65/19 धारा 394,365,34 भादवि थाना के0एम0पुर साउथ दिल्ली
8. मु0अ0सं0 40478/18 धारा 379 भादवि थाना ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया साउथ दिल्ली
9. मु0अ0सं0 43978/18 धारा 379 भादवि थाना ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया साउथ दिल्ली
10. मु0अ0सं0 44719/19 धारा 379,411 भादवि थाना मेहरौली, साउथ दिल्ली
11. मु0अ0सं0 45968/18 धारा 392,34 भादवि थाना मेहरौली, साउथ दिल्ली
12. मु0अ0सं0 1216/18 धारा 392,34 भादवि थाना उत्तम नगर पश्चिम दिल्ली

अभियुक्त समसुद्धीन का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 577/24 धारा 303(2),317(5) बीएनएस थाना सेक्टर-39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर ।
2. मु0अ0सं0 722/2024 धारा 317(2),317(5) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर ।
3. मु0अ0सं0 487/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर ।
4. मु0अ0सं0 16/19 धारा 392,394,365,34 भादवि थाना गाजीपुर ईस्ट दिल्ली
5. मु0अ0सं0 101/19 धारा 392,365,34 भादवि थाना वेलकम नार्थ ईस्ट दिल्ली
6. मु0अ0सं0 2775/19 धारा 379 भादवि थाना बसन्त कुंज साउथ वेस्ट दिल्ली
7. मु0अ0सं0 65/19 धारा 394,365,34 भादवि थाना के0एम0पुर साउथ दिल्ली
8. मु0अ0सं0 43978/18 धारा 379 भादवि थाना ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया साउथ दिल्ली
9. मु0अ0सं0 10478/18 धारा 379 भादवि थाना ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया साउथ दिल्ली
10. मु0अ0सं0 45968/18 धारा 379,411 भादवि थाना मेहरौली दिल्ली
11. मु0अ0सं0 1216/18 धारा 392,34 भादवि थाना उत्तम नगर पश्चिम दिल्ली
12. मु0अ0सं0 321/23 धारा 392,34 भादवि थाना समयपुर बादली बाहरी जनपद दिल्ली
13. मु0अ0सं0 798/22 धारा 365,392,394,397,34 भादवि थाना अलीपुर बाहरी जनपद दिल्ली

अभियुक्त सलाउद्धीन का आपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 577/24 धारा 303(2),317(5) बीएनएस थाना सेक्टर-39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर ।
2. मु0अ0सं0 722/2024 धारा 317(2),317(5) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर ।
3. मु0अ0सं0 487/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर ।

बरामदगी का विवरण--

01 डम्पर, 01 ईको कार, 01 स्विफ्ट कार

01 तमन्चा .315 बोर मय 01 अवैध चाकू

4. थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा 01 साइबर अपराधी गिरफ्तार, धोखाधडी से संबंधित 04 लाख रूपये फ्रिज कराये गये।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 01.12.2024 को थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व तकनीकी साक्ष्यों की सहायता से कार्यवाही करते हुये मु0अ0सं0 17/2022 धारा 419,420,467,468,471,120बी0,34 भादवि व 66डी0 आई0टी0एक्ट से संबंधित अभियुक्त सिंह किंकर रामकुमार को सूरत (गुजरात) से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 12.04.2022 को थाना साइबर क्राइम पर लिखित सूचना देकर मु0अ0सं0 17/2022 धारा 419,420,467,468,471,120बी0,34 भादवि व 66डी0 आई0टी0एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना क्रम के अनुसार दिनांक 15.03.2022 को वादी मुकदमा को फोन पर एक मैसेज आया जिसमे पैन कार्ड को अपडेट कराने के लिये भेजे गये लिंक पर क्लिक कराकर वादी मुकदमा के बैंक खाते से 9,99,999 रूपये की साइबर धोखाधडी की गयी थी। अभियुक्त तभी से लगातार फरार चल रहा था जिसे अथक प्रयास करते हुए सूरत गुजरात से गिरफ्तार किया गया।

विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन से अभियुक्त सिंह किंकर रामकुमार का नाम प्रकाश मे आया था। अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की उपरोक्त धनराशि को अपने क्रेडिट कार्ड मे प्राप्त किया गया था। थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए वादी मुकदमा के साथ की गयी धोखाधडी के 04 लाख रूपये फ्रिज कराये गये है।

अभियुक्त का विवरण--

1. सिंह किंकर रामकुमार पुत्र रामकुमार सिंह निवासी अंबिका निकेतन सोसाईटी, थाना पन्डेसरा, सूरत गुजरात उम्र 31 वर्ष।